



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
रेल मंत्रालय  
रेल भर्ती बोर्ड



## शुद्धिपत्र और संशोधन

विवरण केंद्रीकृत रोजगार सूचना (सीईएन) संख्या 01/2019

विभिन्न एनटीपीसी स्नातक और स्नातक पदों की भर्ती के लिए

28.02.2019 को आरआरबी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित विस्तृत सीईएन संख्या 01/2019 के संदर्भ में, निम्नलिखित शुद्धिपत्रसंशोधन किए गए हैं:

क्र. सं.	मद संख्या	पृष्ठ सं.	जैसा कि सीईएन 01/2019 में दिया गया है	के रूप में पढ़ा जाना
1	1.11 सामान्य निर्देश	5	पदों और/या रेलवे/ इकाइयों के लिए वरीयता: ..... के पैनल में कमी के मामले में अभ्यर्थियों का विकल्प	अभ्यर्थियों के पैनल में कमी या अन्य अत्यावश्यकताओं के मामले में, आरआरबी अभ्यर्थियों की योग्यता और विकल्प के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो मेरिट सूची में अभ्यर्थियों का उपयोग करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
2	13.1 भर्ती प्रक्रिया	19	प्रथम चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट (सीबीटी) - प्रथम चरण सीबीटी स्क्रीनिंग प्रकृति का है और ..... भर्ती प्रक्रिया के सभी बाद के चरण।	प्रथम चरण सीबीटी स्क्रीनिंग प्रकृति का है और सीबीटी के लिए प्रश्नों का मानक आमतौर पर पदों के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप होगा। प्रथम चरण सीबीटी के सामान्यीकृत स्कोर का उपयोग द्वितीय चरण सीबीटी के लिए अभ्यर्थियों की उनकी योग्यता के अनुसार शॉर्ट लिस्टिंग के लिए किया जाएगा।
3	13.5 दस्तावेज सत्यापन (डीवी):	22	दस्तावेज सत्यापन (डीवी): अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर ..... दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया गया।  ये अतिरिक्त अभ्यर्थी ..... संबंधित रेलवे प्रशासन द्वारा	द्वितीय चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर और द्वितीय चरण सीबीटी और सीबीएटी / टीएसटी (जैसा लागू हो) दोनों में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर, रिक्तियों की संख्या के बराबर अभ्यर्थियों को उनकी योग्यता और विकल्पों के अनुसार दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा।  अतिरिक्त उम्मीदवार ..... संबंधित रेल प्रशासन द्वारा

## 2. शुद्धिपत्र में संशोधन एवं अधिसूचना में जारी दिनांक 14.03.2019 के संशोधन।

क्र. सं.	मद संख्या	जैसा कि शुद्धिपत्र दिनांक 14.03.2019 में दिया गया है।	के रूप में पढ़ा जाना
1	शुद्धिपत्र दिनांक 14.03.2019 का क्रमांक 1	विभिन्न चरणों के लिए संक्षिप्त सूची: द्वितीय चरण सीबीटी के लिए अभ्यर्थियों की आरआरबी के अनुसार लघु सूची रिक्तियों के 20 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) की दर से की जाएगी। द्वितीय चरण सीबीटी के लिए लघु सूची प्रथम चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर होगी। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे स्किल टेस्ट के लिए लघु सूची, द्वितीय चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 8 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) की सीमा तक होगी।  जब कोई अभ्यर्थी प्रथम चरण सीबीटी में अर्हता प्राप्त करता है और ओबीसी / एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी के रूप में लघुसूचित किया जाता है, बाद के सभी चरणों में उन्हें क्रमशः ओबीसी / एससी / एसटी / ईडब्ल्यूएस / पीडब्ल्यूबीडी माना जाता रहेगा।	विभिन्न चरणों के लिए संक्षिप्त सूची: द्वितीय चरण सीबीटी के लिए अभ्यर्थियों की आरआरबी के अनुसार लघु सूची रिक्तियों के 20 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) की दर से की जाएगी। द्वितीय चरण सीबीटी के लिए लघु सूची प्रथम चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर होगी। कंप्यूटर आधारित एप्टीट्यूड टेस्ट और टाइपिंग स्किल टेस्ट जैसे स्किल टेस्ट के लिए लघु सूची, द्वितीय चरण सीबीटी में अभ्यर्थियों की योग्यता के आधार पर रिक्तियों के 8 गुना (रेलवे प्रशासन की आवश्यकता के अनुसार बढ़ या घट सकती है) की सीमा तक होगी।
2	शुद्धिपत्र दिनांक 14.03.2019 का क्रमांक 2	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर पृष्ठ 39 पर दिए गए अनुलग्नक III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए होना चाहिए क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता / आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा।	ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की तिथि पर पृष्ठ 39 पर दिए गए अनुलग्नक III के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 2019 में अधिसूचना की तिथि के बाद भी जारी किया गया ऐसा कोई भी प्रमाण पत्र भी मान्य माना जाएगा। प्रमाणपत्र वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए होना चाहिए क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31.03.2019 है। इन शर्तों का पालन न करने की स्थिति में, ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आरक्षित स्थिति के लिए उनके दावे पर विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता / आवेदन, यदि सामान्य (यूआर) श्रेणी के लिए सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं, तो केवल सामान्य (यूआर) रिक्तियों के अंतर्गत ही विचार किया जाएगा।